

फर्द अहकाम
(विषय 28)


अज अदालत - उपखण्ड अधिकारी मुकाम - जहाजपुर (भीलवाडा)

संगीतार पित्त रासकिअर सीणा जि. लुहारीकला
बगाम

राजू पित्त रासका सीणा जि. लुहारीकला

किरम मुकदमा प्रा0 पत्र 111, 128 एल. आर. ए. मुकदमा नं. ५९५ / 2022

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इतिशियल अज	पत्र नं. मसिंह अदालत की हुकम की तारीख में जारी हुके
१९.05.22	<p>प्रार्थना पत्र शिमे से बाद जीव रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि ग्राम लुहारीकला प.ह. लुहारीकला तहसील जहाजपुर में स्थित आ.न 3666 रकबा 4.8400 हैक्टियर आ.न 3666/1 रकबा 0.0162 हैक्टियर स्थित है। उक्त वर्णित कृषि आराजी के पडौसी अप्रार्थीगण है। अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढी करवाये जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जावे। प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है।</p> <p>मैने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबन्दी सम्वत 2076 से 2079 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी पत्थरगढी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायालय पत्थरगढी किया जाना उचित समझता है।</p> <p>अतः प्रार्थना पत्र 111/128 रा.ले. रे. एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा भूमि ग्राम लुहारीकला प.ह. लुहारीकला तहसील जहाजपुर में स्थित आ.न 3666 रकबा 4.8400 हैक्टियर आ.न 3666/1 रकबा 0.0162 हैक्टियर की पडोसियान की उपस्थिति मे पत्थरगढी करने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक लुहारीकला को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 1500- रु. तय किये जाते है। जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रु. राजकोष में जमा करावे। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावे। पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करे।</p> <p>आदेश आज दिनांक १९.05.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p>	


उपखण्ड अधिकारी,
जहाजपुर(भीलवाडा)